22

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 2126–तीन/2002 –विरूद्व–आदेश दिनांक–21–6–2002– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 328/2000–01 अपील

डिल्लीराम पुत्र निरपत वघेल
ग्राम शुक्लपुरा तहसील अटेर
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ———अपीलांट

विरूद्व

1– रामदास 2– हवलदार पुत्रगण श्रीपाल
निवासी शुक्लपुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड ———रिस्पा0

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(रिस्पा0 के अभिभाषक श्री एस0के0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 3 –10 –2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 328/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–6–2002 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा44के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम शुक्लापुरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 698 है जिसका बंदोवस्त के पूर्व प्रथम खसरा नंबर था एंव बंदोवस्त के दौरान राजस्व निरीक्षक ने सर्वे कमांक 698 को सर्वे कमांक 697 में सम्मिलित कर दिया। अपीलांट ने तत्समय सहायक बंदोवस्त अधिकारी अटेर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन देकर सुधार की मॉग की। बंदोवस्त समाप्त होने के वाद प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी अटेर को हस्तांतरित होने पर प्रकरण कमांक 6/99–2000 अ–5 पर पंजीबद्व हुआ। अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनॉक 23–11–2000 पारित किया तथा संहिता की धारा 115, 116 का अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर नक्शा सॅशोधन के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 328/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–6–2002 से अपील स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपीलांट ने अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन देकर बंदोवस्त के दौरान नक्शे में हुई त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधार करने की मांग की है एंव अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23–11–2002 के अंतिम पद में इस प्रकार सॅशोधन के आदेश दिये हैं :–

'' अतः आराजी नं. 698 को पूर्व नक्शा में मुताविक स्थिति कायम करने का अनुरोध किया है नये नक्षे में तदानुसार सॅशोधन चाहा है आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन मान्य किया जाता है। बंदोवस्त दौरान तैयार किये गये नक्शे में सर्वे नं. 698 को अलग से नया नंबर अंकित किया जावे। ''

अर्थात अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23–11–2002 से संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत नक्शा सुधार के आदेश दिये हैं। विचार योग्य है कि क्या संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत नक्शा सुधार किया जा सकता है एंव नक्शे में सॅशोधन करने की शक्तियॉ अनुविभागीय अधिकारी को हैं ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत नक्शा तैयार/सॅशोधित किया जाता है तथा बंदोवस्त के समय

यह कार्यवाही बंदोवस्त अधिकारी व्दारा एंव बंदोवस्त समाप्ति के उपरांत कलेक्टर व्दारा की जाती है। तात्पर्य यह है कि नक्शा सॅशोधन की शक्तियॉ अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है अपितु कलेक्टर को हैं जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 328 / 2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–6–2002 से अनुविभागीय अधिकारी के अधिकारिता विहीन आदेश को निरस्त किया है।

5 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 328 / 2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–6–2002 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0क0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर